

आदेश

बियाडा के निदेशक पर्सड की 42वीं बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित शेडों को मरम्मत कराकर उसके किमत को लीजरेन्ट के रूप में लेने हेतु निम्नांकित निर्णय लिए गए:-

1. वर्तमान समय में पूर्व से निर्मित शेडों की अवस्था काफी जर्जर हो चुकी है। ऐसे शेडों के आवंटियों से एक Undertaking लेकर (लीजरेन्ट के संबंध में हानेवाले निर्णय को मानने के संबंध में) आवंटित शेड का भौतिक दखल-कब्जा दिया गया है ताकि वे आवंटित शेड में अपना कार्य प्रारंभ कर सकें।
2. जो पुराने शेड इस प्रकार की Undertaking लेकर आवंटियों को दिया गया है उनके मूल्यांकन राशि का 3 प्रतिशत वार्षिक लीजरेन्ट के रूप में लिया जायेगा।
3. जो शेड मरम्मति के बाद आवंटित होंगे वहाँ वर्तमान Schedule of Rate से नये निर्णय की लागत का 3 प्रतिशत वार्षिक Lease Rent के रूप में लिया जायेगा।

प्रबंध निदेशक का आदेश

दिनांक 16.05.2013


ह०/-

कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक 317/174/DEV/BIADA/2013

दिनांक 17/05/2013

प्रतिलिपि: मुख्या प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा, पटना/सचिव/कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/विधि परामर्शी, बियाडा पटना/परामर्शी आई० टी० एवं प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कार्यकारी निदेशक